

## उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/2858 /

जबलपुर, दिनांक 10/07/2021  
०४

1. श्री संदीप कुमार पटेल, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य,
2. श्री शुभम केवट, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य
3. श्री आशीष जायसवाल, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य
4. श्री अनुज कुमार शर्मा, कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट,

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (MAP IT) द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण (CPCT) की परीक्षा-2021 हेतु आवेदन करने एवं परीक्षा में समिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में अध्ययन नहीं करेंगे, शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

(राजेन्द्र कुमार वार्णी)  
रजिस्ट्रार जनरल  
*Par*

पृष्ठांकन क्रमांक D/2859 /

जबलपुर, दिनांक 10/07/2021  
०४

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  2. एस.पी.एस.ए.(एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
  3. ज्वाइट रजिस्ट्रार(एम) (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  4. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम).....(समर्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  5. रजिस्ट्रार (डी.ई) के निजी संचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  6. सहायक स्थापना/प्रोटोकॉल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  7. श्री संदीप कुमार पटेल, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  8. श्री शुभम केवट, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  9. श्री आशीष जायसवाल, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  10. श्री अनुज कुमार शर्मा, कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेजित।

(प्रियदर्शन शर्मा)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)  
*Par*